17/1/2020 प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्राबली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/1/2020 को पेश हो।

21/1/2020 प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्राबली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/1/2020 को पेश हो।

27/1/2020 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पीठासीन अधिकारी पूर्व में निर्वाचन कार्य में व्यस्त थे। बहस सुने काफी दिन हो चुके हैं। अतः पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 5/2/2020 को पेश हो।

7 5/2/2020 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 19/2/2020 को पेश हो।

19/2/2020 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली आदेश में है। बहस पर मनन किया। प्रार्थीया का आवेदन साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/43/2017

सोनी देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासिनी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला–सीकर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. ओमप्रकाश उम्र 45 वर्ष पुत्र खुमाणाराम
2. भंवर लाल उम्र 54 वर्ष पुत्र खुमाणाराम
3. प्यारेलाल उम्र 42 वर्ष पुत्र खुमाणाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला–सीकर
4. हल्का पटवारी, नेतड़वास तहसील धोद जिला–सीकर
5. भूमिधारी तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला–सीकर
6. भू–अभिलेख निरीक्षक, कासली तहसील धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
01. श्री प्रभातीलाल, वकील प्रार्थीया की ओर से
02. श्री राजेन्द्र कुमार जाखड, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से

**–:आदेश:–**

दिनांक– 19.02.2020

01. वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थीया ग्राम नेतड़वास में अवस्थित विवादित भूमियां खसरा सं. 815/228 रकबा 2.53 हेक्टेयर व खसरा सं. 813/229 रकबा 0.29 हेक्टेयर की एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। खसरा सं. 815/228 के दक्षिण दिशा में खसरा सं. 814/228 रकबा 0.07 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कटानी रास्ता छोड़कर खसरा सं. 711/228 की कृषि भूमि है एवं उत्तर में खसरा सं. 241 एवं अन्य कृषि भूमि है। पूर्व दिशा में सार्वजनिक रास्ता व पश्चिम दिशा में प्रार्थीया के कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 813/229 तथा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 229 अवस्थित है। प्रार्थीया की कृषि भूमि 815/228 के दक्षिण दिशा में अवस्थित कदीमी रास्ता, जो कि पश्चिम की तरफ चलता हुआ, खसरा सं. 237 की कृषि भूमि तक सदैव से आवागमन हेतु प्रचलन में रहा है। इसी रास्ता का अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने हेतु सदैव से उपभोग–उपयोग करते रहे है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण सभी खातेदारान ने उक्त रास्ता के काम आने वाली भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर दिया था। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा के निकट के पड़ौसी है, जो कि प्रार्थीया की कृषि भूमि के पश्चिमी नींव–सींव को तोड़ने–फोड़ने का प्रयास करते है तथा प्रार्थीया को हमेशा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते है। अप्रार्थीगण ने रंजिशवश बिना किसी हक, अधिकार के दिनांक 26.05.2017 को उपखण्ड अधिकारी महोदय को एक

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

आवेदन बाबत बंद रास्ता को खुलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थीया की कृषि भूमि मूल खसरा संख्या 710/228 की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पूर्वजों के समय से प्रचलित रास्ता होना बताया एवं बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व नक्शा में उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे अंकित एक डोटेड लाइन को आधार बना लिया जबकि अप्रार्थीगण का, कृषि भूमि खसरा संख्या 229 में आवागमन का सदैव से ही रास्ता दक्षिण तरफ से कटानी रास्ता खसरा संख्या 814/228, 812/229 व 820/230 वाके ग्राम नेतड़वास में से रहा है तथा उसी तरफ से सदैव से पीढी दर पीढी आवागमन करते रहे है। प्रार्थीया की कृषि भूमि के नक्शा में अंकित सिंगल डोटेड लाइन को आधार बनाकर, जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीया की कृषि भूमि में से नया रास्ता कायम करने का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा जहां वैकल्पिक मार्ग का अभाव नहीं हों। उस स्थिति में नया रास्ता कायम करने का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन न्याय आपके द्वार 2017 अभियान में माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय ने राजस्व शाखा को मार्क कर दिया। परन्तु उक्त आवेदन पर ना तो अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया ना ही प्रार्थीया अथवा उक्त आवेदन में अंकित अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किये व विधिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये वादीयों को सुनवाई का अवसर दिये बिना अप्रार्थी संख्या 5 ने वादीयों की कृषि भूमि खसरा संख्या 815/228 के उत्तरी तरफ नया रास्ता कायम करने का प्रयास किया। जिस कारण प्रार्थिया ने राजस्व मण्डल अजमेर के सक्षम निगरानी संख्या 3575/2017 बउनवानी सोनी बनाम भंवर लाल आदि प्रस्तुत की थी। परन्तु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 08.06.2017 का कोई आदेश या निर्णय नही होने की फाईण्डिग देकर निगरानी को निस्तारित कर दिया। इस से स्पष्ट था कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के सक्षम दिनांक 08.06.2018 को प्रस्तुत आवेदन पर कोई निर्णय/आदेश उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा पारित ही नही किया था। फिर भी अप्रार्थी संख्या 5 ने वादिया की कृषि भूमि में से नया रास्ता कायम करने की उक्त डोटेड लाइन को आधार बनाकर गलत व अवैध कार्यवाही की एवं वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से साज करके अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा बिना किसी विधिक प्रकिया के, अपने पद का दुरूपयोग करते हुये प्रशासनिक पत्र हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक को लिख कर उक्त डोटेड लाइन को आधार बनाकर प्रार्थीया की कृषि भूमि में से नया रास्ता कायम करने की अवैध कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 5 ने दिनांक 30.10.2017 को खसरा संख्या 815/228 मे डोटेड रास्ता चालू करवाने का आदेश पारित किया गया। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने फर्द रिपोर्ट बनाकर बिन्दू संख्या 8 पर खसरा संख्या 815/228 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे खसरा संख्या 229 की पश्चिमी सीमा तक रास्ता चालू होना बताया। फिर भी अप्रार्थी संख्या 5 ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के पत्र कमांक 950–51/राजस्व/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में तथा कथित बंद रास्ता को पुनः चालू करवाने बाबत, अप्रार्थी संख्या 6 को आदेशित कर दिया जो की पद एवं न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग है जबकि यदि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता बंद हो तो उस संदर्भ में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत लैण्ड हॉल्डर द्वारा कार्यवाही विधिक प्रकिया अपनाकर की जा सकती है। यदि और कोई प्रचलित रास्ता हो एवं उसे बंद कर दिया जावे तो उसको चालू करवाने के संबंध में, धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। जिसका प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारी ग्राम पंचायत का है और यदि 45 दिवस में ग्राम पंचायत निर्णय नही करे तो तहसीलदार प्रकरण को दर्ज कर सुनवाई का विपक्षी को अवसर देकर ही निर्णय पारित करने में सक्षम है। इस के अलावा अन्य कार्यवाही की जाती है तो वह सर्वथा अवैध है। प्रार्थीया की कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 815/228 रकबा 2.53 है. राजस्व रिकार्ड बारानी प्रथम दर्ज है तथा प्रार्थीया की इस भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

उत्तरी सीमा सहारे–सहारे अंकित डोटेड लाइन की पगडण्डी अथवा रास्ता कभी भी नही रहा है तथा उक्त डोटेड लाइन प्रार्थीया की कृषि भूमि में तत्कालीन किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के नक्शा में अंकित हो गई है क्लेरिकल मिस्टेक है। उक्त डोटेड लाइन राजस्व नक्शा में अंकित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 के मन में बेइमानी आ गई जो की बार–बार तथाकथित बंद रास्ता को खुलवाने का मिथ्या आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। उक्त डोटेड लाइन, बिना किसी सक्षम आदेश के, अंकित होने की धोषणा की जाकर राजस्व नक्शा में डोटेड लाइन को हटाने का आदेश दिये जाये एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थीया की कृषि भूमि व फसल को नुकसान पहुंचाने से प्रतिबंधित किया जाने बाबत वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे प्रार्थीया की कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 815/228 रकबा 2.53 है. बारानी प्रथम वाके ग्राम नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे डोटेड लाइन की आड़ में मौका पर नया रास्ता कायम करने व प्रार्थीया के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने से प्रतिबंधित रहें।"

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से अभिभाषक राजेन्द्र कुमार जाखड़ ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राज. भू–राजस्व अधिनियम के विधिक मानकों/प्रावधानों के तहत पेश नहीं किया है। राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज से हटकर न्यायालय को गुमराह करने के लिए तहरीर की गयी है व राजस्व अभिलेखो में व मौके पर भूमि खसरा नम्बर 815/229 के उत्तरी सीमा पर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 299, 241 में आम रास्ता पूर्वजों के समय से अवस्थित है। राजस्व नक्शा ट्रेस में जिसका सुसंगत इन्द्राज है व अप्रार्थीगण पूर्वजों के समय से ही इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते को बंद करने का अधिकार नही होने पर भी अप्रार्थीगण को परेशान हैरान करने के लिए रास्ते को बंद किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय धोद को आवेदन पेश किया, उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा विधि के मानको पर रास्ता चालू करने के आदेश की पालना में दिनांक 08.06.2017 को तहसीलदार धोद द्वारा पुलिस थाना सदर सीकर के जाप्ते के साथ ग्राम पंचायत नेतडवास से प्राप्त संसाधनो की सहायता से डोटेड लाईन के रास्ते को खुलवाया गया व मौके पर फर्द बनायी गयी। प्रार्थी द्वारा पुनः अप्रार्थीगण को परेशान करते हुए आवागमन को बाधित करने के लिए रास्ते को अवरूद्व किया जिस पर पुनः माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, धोद के पत्रांक राजस्व /2017/1218–22 दिनांक 20.11.2017 से तहसीलदार धोद को निर्देश जारी किये है कि खसरा नम्बर 815/228 में डोटेड लाईन से अंकित रास्ते को दिनांक 24.11.2017 को खुलवाया जाकर पालना पेश करें। मौके पर शांति बनाये हेतु थानाधिकारी सदर सीकर से मिलकर पुलिस मदद प्राप्त कर लेवे। माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय धोद के आदेश की पालना में रास्ते को खोलने नही देने की कुचेष्टा में प्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करने के लिए माननीय न्यायालय में विधि विपरीत अंकन कर वाद पेश किया है। अप्रार्थीगण के खेत का रास्ता जो बरसो से पूर्वजो के काल से आवागमन के उपयोग उपभोग में आता रहा को प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि बताकर या खातेदारी की आड में डोटेड लाईन के रास्ते को बाधित कर खेत में मिलने की कुचेष्टा मे अस्वीकार्य, असुसंगत अंकित कर वाद पेश किया है उक्त रास्ते का प्रार्थी को बंद करने, बाधित करने का अधिकार नही होने पर भी न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर दावा पेश किया व अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पेश

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

किया है जो कि विधि के मानको पर निरस्त किया जाना विधिक बाध्यतता पुष्ट है। माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय धोद को पेश आवेदन पर विविध नोटिस उन व्यक्तियों को देने की विधिक बाध्यतता है जिसमें हित प्रभावित होते हो, डोटेड लाईन रास्ते के अवरूद्व खत्म करने, सूचारू चालू करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित नही होते है हित प्रभावित नही होने पर नोटिस जारी करने की विधिक बाध्यतता नही है न ही प्रार्थी की खतेदारी भूमि का हिस्सा प्रभावित होता है राजस्व नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन अंकित पर पुष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि नही है व नोटिस संविधि के मानको पर नही दिया जा सकता है व न ही प्रार्थी को उक्त रास्ते को अवरूद्व का अधिकार है। प्रार्थी का वाद पेश करने का वाद हेतुक पुष्ट नही है। प्रार्थी को रास्ता बंद करने का वाद पेश करने का अधिकार विधिक मानको पर नही है। रास्ता अवरूद्व होने पर अप्रार्थीगण को असीम क्षति कारित होना पुष्ट है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में फसल खड़ी है। अतः प्रार्थी को पाबंद फरमाया जावे कि रास्ते को भविष्य में अवरूद्व नही करें व आवेदन पत्र को खारिज कर डोटेड रास्ते को सूचारू आवागमन योग्य में समुचित आदेश फरमावे। खसरा नम्बर 815/228 की खातेदारी अधिकारो में डोटेड लाईन रास्ते को अवरूद्व करने के अधिकार समाहित नहीं पर प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन खारिज योग्य किया जावें। अतः जबाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये टी.आई. स्वीकार करने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया का आवेदन टी.आई. खारिज किया जावें।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– (a) प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के उत्तर में डोटेड लाईन के रास्ते को लिपिकीय भूल या राजस्व कार्मिकों की लापरवाही मानते हुये भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत उक्त डोटेड लाईन के रास्ते को राजस्व नक्शे में विलोपित करने का अनुतोष मांगा है। उक्त अनुतोष पर अंतिम निर्णय दावे में सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् किया जा सकेगा। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह लगता हो कि उक्त डोटेड लाईन राजस्व कर्मचारियों ने गलती से अंकित की हों।

(b) प्रार्थीया ने अपने आवेदन में यह तर्क दिया है कि तहसीलदार धोद ने डोटेड लाईन का रास्ता खुलवाने में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। लेकिन प्रार्थीया को तहसीलदार के किसी न्यायिक आदेश से आपत्ति है, तो वह जिला कलक्टर के न्यायालय में तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर सकती है।

(c) प्रार्थीया ने यह भी तर्क दिया है कि मेरी खातेदारी भूमि के उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ रास्ते नहीं हो सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से यह तर्क भी सही नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवरणानुसार प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित नहीं है।

(B) सुविधा का संतुलन– प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

(C) अपूरणीय क्षति– तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत यदि कोई न्यायिक आदेश पारित किया जाता है तो उसके कारण प्रार्थीया को कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो सकती है। यदि तहसीलदार के आदेश से प्रार्थीया सहमत नहीं है तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकती है। इसलिए यह बिंदु भी प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। इसलिए प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीया का आवेदन साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.03.19 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: